

**राजमाता विजयाराजे सिधिंया कृषि विश्व विद्यालय**  
**कार्यालय उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र इंटर्खेडी बेरसिया रोड, भोपाल**


मो. नं. 8878600042, 9303315367, 9817253054

क्रमांक फ.अ.के./2021-22/ 466

दिनांक : 11/03/2022

**निवाद सूचना**

सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि फल अनुसंधान केन्द्र इंटर्खेडी, बेरसिया रोड भोपाल में आम फसल वर्ष 2021-22 के विक्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक खरीददार अपने-अपने भाव पत्र बन्द लिफाफे में उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र इंटर्खेडी में नीलामी तिथि में समय पर उपलब्धत रहकर, अधिकाराता कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा गठित समिति के समस्त आम फसल को नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा। अपने-अपने भावपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपराह्न 2.00 बजे तक जमा करें। इसके बाद प्राप्त टेंडरों पर विचार नहीं किया जावेगा। टेंडर दिनांक 23.03.2022 को 3. अपराह्न 2.00 बजे तक जमा करें। इसके बाद प्राप्त टेंडरों पर विचार नहीं किया जावेगा। जिसकी शर्त निम्न होगी:-  
 ०० बजे के बाद अधिकाराता कृषि महाविद्यालय द्वारा गठित नीलामी समिति के सामने खोले जाएंगे। जिसकी शर्त निम्न होगी:-  
 १. प्रत्येक टेंडर प्रेरण को आम फसल के लिये 25,000/- - जमानत राशि के रूप में नगद जमा कराना होगा। यह राशि टेंडर के बाद पारी रखी जाएगी करने से बाद वापस भुगतान कर दी जाएगी एवं जिस भी ठेकेदार की नीलामी के लिए सर्वाधिक राशि होगी उसकी अमानत राशि फसल अवधि समाप्त होने तक कार्यालय या प्रक्षेत्र की संपत्ति को घर पर वापस की जायेगी। फसल अवधि के दौरान कार्यालय या प्रक्षेत्र की संपत्ति को ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर जमानत राशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।  
 २. स्वीकृत टेंडर की पूरी रकम ठेकेदार को 24 घण्टे में जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा होगी। रेसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेंडर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) पर क्रय करने का अवसर होगा।  
 ३. फसल तौड़ने की अंतिम तिथि 31.07.2022 तक ही रहेगा।  
 ४. किसी प्रकार का बाद विवाद उत्पन्न होने पर अधिकाराता, आरएके, कृषि महाविद्यालय सीहोर का निर्णय अंतिम एवं सर्वानुच्छेद होगा।  
 ५. आम फसल बरीचे का अपलोकन खरीददार स्वयं आकर कर सकते हैं।  
 ६. फसल की बीकीदारी, रखरखाव एवं किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जावाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।  
 ७. आम फसल तुड़ाइ के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जावाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।  
 ८. जिस भी ठेकेदार को बरीचा नीलाम होगा उनके द्वारा आम के मुख्य बरीचे के अलावा प्रक्षेत्र के अन्य आम के पेड़ों से फूल नहीं तोड़ें जायेंगे। जो कि प्रदर्शनी के लिए सुरक्षित किये गये हैं।  
 ९. उद्धित कीमत न आने पर टेंडर/नीलामी निरस्त्री की जा सकती है।  
 १०. आम की कलम बरीचे कोई आपत्ति नहीं होगी।  
 ११. सिंचाई पानी उपलब्ध रहने पर ही दिया जा सकता। अधिकतम ३ पानी उपलब्ध होने पर ही दिया जावेगा।  
 १२. कीटनाशक दवा एवं फफूद नाशक दवा ठेकेदार को प्रदाय की जाएगी तथा छिड़काव की जावाबदारी ठेकेदार की होगी।  
 १३. नीलामी के स्वचाल फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान रोग एवं कीट व्याप्ति से हुए नुकसान की जावाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।  
 १४. ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कार्ड/फोटो परिचय पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी पिस्सो उसके निवास का पता प्रमाणित हो सकते।  
 १५. ठेकेदार को अलग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन जिजली जलाने के लिये लेना होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु नियोजित बोली सभी पार्टीयों से एक साथ या अलग-अलग की जाएगी।  
 १६. टेंडर की अधिकतम राशि समय पर जमा ना होने पर निवादकर्ता की जमानत राशि यापिस नहीं की जाएगी।  
 १७. नगद पैसा या डी. डी. बैंक के माध्यम से नियमानुसार जमा करना होगा।  
 १८. निवादकर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधारकार्ड/परिचय पत्र/लिखित में प्रभारी को सूचित करें।  
 १९. फल बेचने के लिये गेट के बाहर गुमटी ठेकेदार अपनी जावाबदारी पर बनाकर बेच सकता है, मुख्य मार्ग अवरोध न हो। इसका ध्यान रखते हुए।  
 नोट :- विशेष जानकारी हेतु प्रमारी फल अनुसंधान केन्द्र, इंटर्खेडी से सम्पर्क करें।

  
 प्रक्षेत्र प्रभारी  
 फल अनुसंधान केन्द्र, इंटर्खेडी  
 प्रक्षेत्र प्रभारी  
 फल अनुसंधान केन्द्र, इंटर्खेडी  
 भोपाल (म.प्र.)